



2026:RJ-JP:5921

[2026:RJ-JP:5921]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16313/2025

Asha Devi W/o Shri Radhamohan Saini, Aged About 40 Years,
R/o Plot No. 237, Malpura Gate Ke Bahar, Kisan Colony, Rani Ka
Talab, Police Station Malpura Gate, Jaipur. (At Present Confined
in Central Jail Jaipur, District Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16314/2025

Radha Mohan Saini S/o Shri Mishri Lal Saini, Aged About 47
Years, R/o Plot No. 237, Malpura Gate Ke Bahar, Kisan Colony,
Rani Ka Talab, Police Station Malpura Gate, Jaipur. (At Present
Confined in Central Jail Jaipur, District Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1049/2026

Ramratan Sharma S/o Shri Jagdish Prasad Sharma, R/o Plot No.
42, Mathur Vaishya Nagar, Near Ram Mandir, Sanganer, Tonk
Road, Jaipur. (Presently Confined At Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent



For Petitioner(s) : Mr. Jeetram Choudhary, Adv.
Mr. Anurag Pareek, Adv.
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP with
Mr. Shubham Sain, AAAG
Ms. Poonam Kumawat, Adv. for
Mr. Vishnu Kumar Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

09/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु उक्त तीनों जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना सांगानेर, जिला जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त तीनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः तीनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, प्रार्थीया/अभियुक्ता आशा देवी महिला है, उसके व अन्य प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के समान अपराध में आरोपित सहअभियुक्तगण जगदीश शर्मा व दीपक शर्मा के जमानत प्रार्थना पत्र क्रमशः 16975/2025 व 16974/2025 आदेश दिनांक



19.12.2025 के माध्यम से न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, प्रकरण में 16 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। अन्य सहअभियुक्तगण ने प्रार्थीया/अभियुक्ता का लोन करवाकर आपराधिक कृत्य किया है, जिसमें प्रार्थीया/अभियुक्ता की कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता दिनांक 22.11.2025 से तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामरतन व राधामोहन दिनांक 20.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने भूखण्ड संख्या 76, सियाराम नगर, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर का श्री लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर का फर्जी व कूटरचित आवंटन पत्र, सोसायटी की रसीद व नक्शा फर्जी तौर पर तैयार कर सहअभियुक्त जगदीश शर्मा के हित में विक्रयपत्र निष्पादित कवाकर परिवादी कंपनी से 34,55,138/- रुपये का ऋण लेकर परिवादी कंपनी को सदोष हानि कारित की। प्रार्थी/अभियुक्त राधामोहन के विरुद्ध दो आपराधिक प्रकरण 9/11 धुम्रपान अधिनियम तथा धारा 3/5 राजस्थान सार्वजनिक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के दर्ज हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त रामरतन के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण इसी प्रकृति का दर्ज है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।



वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता 40 वर्षय महिला है, उसका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थीया/अभियुक्ता दिनांक 22.11.2025 से तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामरतन व राधामोहन दिनांक 20.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण में 16 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होना शेष है। सहअभियुक्त जगदीश शर्मा व दीपक शर्मा की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

यद्यपि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राधामोहन व रामरतन के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, परंतु प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. आशा देवी पत्नी राधामोहन सैनी 2. राधा मोहन सैनी पुत्र मिश्री लाल सैनी 3. रामरतन शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा** की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J